(6)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

क्रमांक /15–16

निग0 1999 – II/16

मनोहरसिंह आ0 हरिप्रसाद परमार वयस्क।
निवासी व कृषक ग्राम मुरली तहसील
व जिला सीहोर।..निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. श्रीमान महाप्रबंधक महोदय
म0प्र0 हाउसिंग बोर्ड गृह निर्माण समिति
भोपाल।
2. म0प्र0 शासन द्वारा
कलेक्टर सीहोर जिला सीहोर।
3. श्रीमान तहसीलदार महोदय सीहोर।..रेस्पॉण्डेन्ट

श्री .... द्वारा आज दि 23/6/16 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

23/6/16

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 18.09.1991 पारित द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय सीहोर प्रकरण कमांक 03/ अ–3/91।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं विधिक आधारो पर निगरानी प्रस्तुत करते है :–

–: तथ्य :–

1. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता भूमि सर्वे कमांक 108/1 रकबा 0.552 हैक्टर स्थित ग्राम मुरली तहसील व जिला सीहोर का स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है यह भूमि राजस्व पत्रों में भी निगरानीकर्ता के नाम दर्ज चली आ रही है। निगरानीकर्ता ने इस भूमि का व्यपवर्तन कराकर कुछ भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से केतागण को विकय कर दिया है ओर केतागण ने भी कय किये गये भवन पर अपने मकान आदि बना लिये है। इस निगरानीकर्ता के स्वामित्व एवं आधिपतय से लगी हुई हाउसिंग बोर्ड की भूमि सर्वे कमांक 125/1 में से कई वर्ष पुराने

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1999/दो/2016 जिला सीहोर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो । अध्यक्ष	